अनुसूची- १४ –फारम सं० ४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक. १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 08/2014

पवन कुमार राय

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, मढौरा,सारण)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
21.05.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के आदेश ज्ञापांक 36, दिनांक 20.06.2014 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 27.12.2013 को पवन कुमार राय, ज0वि0प्र0वि, अनु सं0-58/2007 ,पंचायत-माधोपुर, प्रखंड-मढौरा, थाना-मढौरा जिला-सारण की दूकान की जांच अनुमंडल स्तरीय गठित जांच दल के द्वारा किया गया। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताए पाई गयी- (1) निरीक्षण के समय दुकान बन्द पाई गई। (2) दुकान से संबद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया गया है कि बी0पी0एल0 योजानान्तर्गत 20 किलो खाद्यान्न मिलता है, जिसके एवज में 150 रू0 की वसूली की जाती है। (3) दूकान से संबद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया गया है कि अन्त्योदय योजाना में 25 किलो खाद्यान्न दिया जाता है और 100 रू0 वसूल किया जाता है। (4) दुकान से संबद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया गया है कि 2.0 लीटर किरासन तेल देते है एवं 40 रू0 वसूल की जाती है। (5) दूकान से संबद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया गया है कि आपके द्वारा कैशमेमो नहीं दिया जाता है। उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह	

अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 5250 ,दिनांक 28.12.2013 के द्वारा विक्रेता से कारण-पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि जांच की तिथि 27.12.2013 को विक्रेता की दूकान खुली थी, और उनके द्वारा किरासन तेल का वितरण किया गया था। 2:00 बजे के बाद दूकान बंद करके डॉक्टर के यहाँ मढौरा चला गया था। विक्रेता के विरूद्ध शिकायत करने वाले लालबाबू राय, ए0पी0एल कमांक 255 एवं हिरामति देवी, ए0पी0एल कमांक 239 बी0पी0एल0 के कार्डधारी नही हैं ये ए0पी0एल के कार्डधारी है जिन्हें खाद्यान्न की आपूर्ति नही की जाती है। इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा विक्रेता के पक्ष में शपथ पत्र दिया गया है जो विक्रेता के द्वारा अपने जवाब के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है। विक्रेता के विरूद्ध गवई राजनीति के तहत उनके कुछ विरोधियों के द्वारा उन्हें परेशान करने की नीयत से गलत आरोप लगाये गये है। उनके विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप गलत है, एवं व्यक्गित दूश्मनी से प्रभावित है। विक्रेता के द्वारा अनुदानित सामग्री का उठाव एवं वितरण निगरानी समिति के समक्ष किया जाता है। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में ससमय अनुदानित सामग्री का उठाव कर प्राप्त कूपन के आधार पर वितरण किया जाता है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमितता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 36, दिनांक 20.06.2014) एक मुखर आदेश नहीं है। अभिलेख में विक्रेता के विरूद्ध दिए गए कुल 2 उपभोक्ताओं का बयान रक्षित है, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने कारण पृच्छा में शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं का नाम उल्लेख नही किया गया है। शिकायत करने वाले दोनों उपभोक्ताओं के द्वारा विक्रेता के पक्ष में शपथ पत्र दिया गया है। विक्रेता से प्राप्त जवाब को सीधे असंतोषजनक कहकर अस्वीकृत कर देना उचित नही है। विक्रेता से प्राप्त कागजातों की जांच के प्रसंग कम में यदि कोई गंभीर अनियमितता पाई जाती है तो अनुज्ञापन पदाधिकारी के लिए आवश्यक है कि इस संबंध में विक्रेता से वे पुरक कारण पृच्छा करते एवं प्राप्त जवाब के आलोक में विक्रेता की अनुज्ञप्ति के विरूद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई की जाती लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा

नही किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन दिनांक 19.07.2014 को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 363 /न्या0, दिनांक 22/5/15

प्रतिलिपिः— अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा,सारण को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।